न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 287 / 2021 तारीख 03 / 12 / 2021

अनवान

राजू पुत्र छोटू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. चन्दा पुत्र मोडा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
02. हीरा पुत्र मांगु जाति भील उम्र वयस्क निवासी दरा का कुआ जलीन्द्री तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
03. प्रेमलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
04. मनोहरलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक : 7 / 12 / 2021

प्रार्थना पत्र राजू पुत्र छोटू जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम जलीन्द्री पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. नयी 265 पर अंकित आराजी सं. 1132/11 रकबा 1.2141 है0. किस्म बारानी तृतीय भूमि बहक खातेदारी हक अधिकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान बिजौलिया **में, पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।**

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम जलीन्द्री पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. नयी 265 पर अंकित आराजी सं. 1132/11 रकबा 1.2141 है0. बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी मौके पर अदा करेंगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

.... बनाम ....

नम्बर मुकदमा – ...111-128.................... नम्बर ....287........ / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/12/2021	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। पेरोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक ..7.. / ..12.. / 2021 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी **बिजौलियां**	
07/12/2021	पत्रावली बन्द बस्ते से आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में शिविर स्थान बिजौलियां कलां में पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	